

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

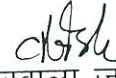
क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/

दिनांक:- जुलाई, 2014

कार्यालय आदेश

श्री विरेन्द्र सिंहल, लेखाकार (मेरिट नं. 680/81, लिंक नं. 266) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर को अधीक्षण अभियन्ता, एनआरएचएम (NRHM) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जोधपुर में लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य अग्रिम आदेशों/पदस्थापन होने तक सम्पादित करने के लिए अधिकृत एवं निर्देशित किया जाता है।

इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्यभार देय होगा।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक,

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/6366-71

दिनांक:- 2 / जुलाई, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, कोषालय जोधपुर शहर जोधपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, एनआरएचएम (NRHM) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जोधपुर।
4. श्री विरेन्द्र सिंहल, लेखाकार (मेरिट नं. 680/81, लिंक नं. 266) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
7. व्यक्तिगत पंजिका।
8. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।


(के. एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)